

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग,

फायर ब्रिगेड कैम्पस, लोदीपुर, पटना।


पुनर्निविदा (प्रथम बार) आगंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम : कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2. परिमाण विपत्र विक्री का अंतिम तिथि और समय : 12.12.2017 को अपराह्न 03:00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि और समय : 13.12.2017 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खुलने की तिथि और समय : 13.12.2017 को 03:30 बजे अपराह्न तक।
5. परिमाण विपत्र विक्री का स्थान एवं कार्यालय : (क) अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय अंगल, पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
(ख) कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
(ग) संप्रवृत्त अंगर प्रमंडल पदाधिकारी, नई राजधानी पथ अंगर प्रमंडल रां-1 पथ निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
क्रमांक 5 के अनुसार
6. निविदा प्राप्ति का स्थान/कार्यालय
7. कार्य का विवरण -

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (₹० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (₹० में)	कार्य समाप्ति की अवधि	आवृत्ति
1	Paver Block for Beautification work in front of Smart Ashoka Convention Kendra North Gandhi Maidan Road (from Ramamand Tiwari Statue more to Last East Gate of I.C.C) for the year 2017-18.	₹ 1447599.00	₹ 290000/-	₹ 2500/-	7 दिन	अनुसूचित जाति
2	Construction of Drain in K.G.A. Road in front of 3 K.G. Patna, Bihar for the year 2017-18.	₹ 907793.00	₹ 18,200/-	₹ 1250/-	7 दिन	अनुसूचित जन जाति
3	Repair of Qtr. No.-11, Road No.-2, at Kazipur, Rajendra Nagar, Patna for the year 2017-18.	₹ 430866.00	₹ 8700/-	₹ 750/-	30 दिन	पिछड़ा वर्ग की महिला

विशेष सूचनाएँ :

1. पथ निर्माण विभाग के संप्रवृत्त श्रेणी में निवृत्त अद्यतन नवीनीकृत संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. कार्य के प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है निर्गत किये जाने वाले परिमाण विपत्र/निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य एवं आरक्षण कोटि ही अंतिम और मान्य होगा।
3. निविदा के साथ में निम्न सूचनाएँ एवं कागजात जमा करना अनिवार्य होगा।
(क) अद्यतन अग्रघन की राशि जो पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत पत्र आंतर्यक निर्गम के रूप में बैंक मार्फत (प्राक्कलित राशि एक करोड़ एवं ऊपर की स्थिति में) जो कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, पटना के परनाम से पंज होना चाहिए।
(ख) पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र रिफंड विहार राज्य के अन्तर्गत निरक्षर आकधर का क्रय किया हुआ होना चाहिए जिसकी वैधता अवधि अर्द्ध शताब्दि तक डिपोजिट लायबिलिटी की अवधि का कवर करता हो।
(ग) अपने रजिस्ट्रेशन का पूर्ण व्यौर जैसे व्यक्तिगत, संयुक्त, प्रां. लिं. संस्था आदि।
(घ) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र, वैट नम्बर, रोड टैक्स जमा चुकता पत्र, टैवर लाईसेंस आदि।
(ङ) विज्ञापित कार्य हेतु अनुमत प्राप्ति संवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
4. निविदादाताओं को परिमाण विपत्र में कार्य करने का दर प्रतिशत से अधिक/कम या परिमाण विपत्र दर पर करने हेतु अंकित करना होगा।
5. निविदा से संबंधित कार्य के लिए संप्रवृत्त श्रेणी के संवेदक भी विभाग द्वारा निर्धारित मशीन एवं उपकरण की मात्रा/दर के भुगतान के निरुद्ध निविदा में नाम ले सकते हैं। कार्य समाप्ति के समय उक्त मशीनरी एवं प्लांट का अद्यतन विभागीय दर (शौचिक प्रमंडल के विपत्र पर आधारित) के अनुसार हथर चार्ज की अन्तरी संवेदक के विपत्र से किया जायेगा।
6. यशस्वी निविदा अमान्य होगी। साथ ही विना कारण बताये एक या सभी निविदाओं का रद्द करने अथवा उन्हें एक से अधिक संवेदकों के बीच बाँटने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
7. परिमाण विपत्र आवेदन के साथ संवेदकों को परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) अद्यतन निवेदन प्रमाण-पत्र, अद्यतन आयकर एवं वि.के. कर संप्रत्य प्रमाण-पत्र, अद्यतन विक्री कर निवेदन प्रमाण-पत्र, एवं टैवर लाईसेंस एवं जाति प्रमाण पत्र (रिफंड आरक्षण मामले में) की अनिवार्यता स्वीकार करना होगा अन्यथा परिमाण विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
8. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमंडल, पटना के परनाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मुख्य शाखा पटना में भुगतान हो।
9. आरक्षण की प्रत्याशा में निविदाओं आमंत्रित की जा रही हैं। विभाग में आवेदन की उपलब्धता के आधार पर ही प्राथमिकता के अनुसूचित संवेदकों से कार्य करवा जायेगा और कसबे मये कार्य का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में संवेदकों का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
10. सफल संवेदकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अंगर एकत्रनामा नहीं किया जाता है तो निविदा के साथ संलग्न अग्रघन की राशि जमा कर ली जायेगी।
11. एक बार निविदा में भाग लेने के बाद यदि निविदादाता निविदा प्राप्ति के अंदर कार्य कराने में असमर्थता प्रकट की जाती है तो निविदा के साथ संलग्न अग्रघन की राशि जमा कर ली जायेगी एवं पूरा निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
12. संवेदक निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्यस्थल का निरीक्षण कर लें। निविदा प्राप्ति के बाद जहाँ है वही है, के आधार पर ही संवेदक कार्यपूर्ण करने के लिये वास्य होंगे।
13. कोई समय वृद्धि नहीं दी जायेगी, यह वाक्यता होगी कि कार्य समय पर पूर्ण हो। समय पर संतोषपद कम से कार्य पूर्ण नहीं होने पर निवेदन कर्तविकृत कर ली जायेगी।
14. निर्धारित तिथि को सरकारी छुट्टी घोषित होने की स्थिति में परिमाण विपत्र विक्री या निविदा की तिथि अगले दिन किया जायेगा।
15. परिमाण विपत्र की दर से 10% से अधिक कम दर उद्धत करने वाले निविदाकार की निविदा अमान्य होगी।
16. डिवायस/पत्र का शपथ पत्र देना होगा।
17. ₹ 25/-लाख से अधिक का कार्य अभी तक इस वित्तीय वर्ष में नहीं अंतिम है का शपथ पत्र देना होगा यह रिफंड आरक्षण मामले में अनिवार्य है।
18. निरसृत जानकारी के लिये अफसरतादाशी के कार्यालय में कार्य-दिवस में संपर्क किया जा सकता है।


 कार्यपालक अभियंता,
 नई राजधानी पथ प्रमंडल,
 पथ निर्माण विभाग, पटना।
 24/11/17